निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 आश्विन 1939 (श0)

(सं0 पटना 932) पटना, बुधवार, 11 अक्तूबर 2017

गन्ना उद्योग विभाग

आदेश

20 सितम्बर 2017

सं० वि०उ०–02–16/11–1586— राज्य की चीनी मिलों के लिए पेराई सत्र 2014–15 से 2016–17 के लिए अपराम्परागत रूप में आरक्षित किये गये ग्रामों के आरक्षण की अवधि समाप्त हो चुकी है। उपरोक्त आलोक में ऐसे ग्रामों का आगे के वर्षो के लिए आरक्षण, प्रवृत्त आरक्षण के किसी अंश में आवश्यक सुधार एवं मुक्त क्षेत्रों के आरक्षण के उद्देश्य से विभागीय पत्र संख्या–1300 दिनांक–28.07.2017 के माध्यम से राज्य की चीनी मिलों से आगे के वर्षो के लिए आरक्षण प्रस्ताव की माँग की गयी थी। तद्आलोक में बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम–1981 की धारा–31(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जितेन्द्र कुमार सिंह, ईखायुक्त, बिहार, पटना द्वारा मेसर्स मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि० यूनिट–**न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स, नरकटियागंज, प० चम्पारण** से प्राप्त प्रस्ताव की सभी चीनी मिलों के प्रतिनिधियों, क्षेत्रीय ईख पदाधिकारियों, विभागीय पदाधिकारियो एवं अन्य संबंधितों के समक्ष दिनांक 18.09.2017 को पूर्वाह्न 11:45 बजे सुनवाई की गयी।

विभागीय आदेश ज्ञापांक–2313 दिनांक 24.09.2015 के माध्यम से इस चीनी मिल को पराम्परागत रूप से पेराई सत्र 2015–16 से 2019–20 के लिए आरक्षित 411 ग्रामों के आरक्षण एवं विभागीय आदेश ज्ञापांक–2158 दिनांक–24.09.2014 के माध्यम से अपराम्परागत रूप से पेराई सत्र 2014–15 से 2016–17 के लिए आरक्षित 38 ग्रामों के आरक्षण से संबंधित आदेश पत्र का भी अवलोकन किया गया।

अपने क्षेत्र आरक्षण के प्रस्ताव के सन्दर्भ में मेसर्स सुगर एण्ड एनर्जी लि० यूनिट–न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स, नरकटियागंज, प० चम्पारण के कार्यपालक अध्यक्ष श्री चन्द्रमोहन द्वारा बताया गया कि उनके चीनी मिल की पेराई क्षमता 7500 TCD है। उनके प्रबंधन द्वारा मिल की पेराई क्षमता को 9000 TCD तक विस्तारित करने कार्य आरम्भ किया गया है तथा इस निमित्त राज्य निवेश प्रोत्सहन पर्षद का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

श्री चन्द्रमोहन द्वारा बताया गया कि पेराई सत्र 2017–18 के लिए उनका NCR 92.90 लाख क्विंटल निर्धारित किया गया है। उनके आरक्षित क्षेत्र में 93099.83 एकड़ में गन्ने की खेती हुई है। विस्तारित क्षमता से पेराई हेतु उन्हें 126 लाख क्विंटल गन्ने की आवश्यकता होगी। उन्होंने बताया अपने आरक्षित क्षेत्र में उनके मिल द्वारा वर्षवार ईख विकास के कार्यक्रम चलाये जाते हैं तथा किसानों को गन्ने की खेती हेतु ऋण भी मुहैया कराया जाता है।

उन्होंने बताया कि अपराम्परागत रूप से उनको आरक्षित होते आ रहे चनपटिया क्षेत्र के 31 ग्राम एवं योगापट्टी क्षेत्र में आरक्षित 7 ग्राम कुल 38 ग्राम वर्षो से उनके चीनी मिल के साथ आरक्षित होते आये हैं। उनके चीनी

मिल के पेराई क्षमता के अनुरूप गन्ने की आवश्यकता की पूर्ति हेतु इन ग्रामों को उनके मिल के साथ आरक्षित किये जाने की आवश्यकता है। उपरोक्त आलोक में उनके द्वारा पूर्व से आरक्षित होते आ रहे 38 ग्रामों के अलावे मझौलिया चीनी मिल को चनपटिया अंचल में आरक्षित होने वाले तीन ग्राम एवं योगापट्टी अंचल में लौरिया चीनी मिल को आरक्षित होने वाले 16 ग्रामों को उनके पक्ष में आरक्षित किये जाने की माँग की गयी।

सुनवाई में उपस्थित मेसर्स एच॰बी॰एल॰ इकई–लौरिया द्वारा मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि० यूनिट–न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स, नरकटियागंज द्वारा समर्पित किये गये प्रस्ताव अन्तर्गत योगापट्टी में उनके मिल को आरक्षित होने वाले 16 ग्राम एवं 7 ग्राम के आरक्षण का विरोध किया गया। बैठक में उपस्थित मझौलिया चीनी मिल के प्रबंधक द्वारा भी उनको आरक्षित होने वाले 3 ग्रामों के आरक्षण के प्रस्ताव का विरोध किया गया।

बैठक में पश्चिम चम्पारण जिले के मिल प्रतिनिधियों द्वारा पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत अपराम्परागत् रूप से ग्रामों के आगे के वर्षो के लिए आरक्षण की आवश्यकता की समीक्षा हेतु अनुरोध किया गया। अब तक बंद चीनी मिलों के क्षेत्र को अपराम्परागत रूप में तीन वर्षो के लिए आरक्षित किये जाते रहे हैं। Sugarcane control order के clause 6 A के प्रावधान के अनुसार 15 कि० मी० की परिधि के अन्दर कोई नई चीनी मिल नहीं लग सकती है। पश्चिम चम्पारण जिले की सभी चीनी मिलों ने अपने पेराई क्षमता का विस्तार किया है एवं आगे भी कर रही है। उपरोक्त के आलोक में एवं जिले में उपलब्ध खेती योग्य भूमि के दृष्टिगत् जिले में किसी अन्य नई चीनी मिल की स्थापना या बंद चीनी मिल के पुनर्जीवन की संभावना नहीं दिखती है। ऐसी स्थिति में आगे के वर्षो के लिए अपराम्परागत् रूप से इस जिले के ग्राम को आरक्षित करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। ऐसे ग्रामों को जिले की कार्यरत चीनी मिलों के साथ ईख अधिनियम की धारा 31 (1) के प्रावधानों के आलोक में परम्परागत् रूप से आरक्षित कर देना ही श्रेयस्कर प्रतीत होता है।

इस सुनवाई के पूर्व दिनांक 13.09.2017 को संबंधित क्षेत्र के गन्ना कृषकों की सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान उनके द्वारा अभिव्यक्त की गई भावनाओं सहित सभी किसानों, उनके प्रतिनिधियों, जनपतिनिधियों से प्राप्त अभ्यावेदनों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया।

संयुक्त क्षेत्रीय विकास परिषद्, पश्चिम चम्पारण द्वारा किये गये अनुशंसा का भी अवलोकन किया गया। परिषद् द्वारा प्रश्नगत् क्षेत्र में यथास्थिति बनाये रखने की अनुशंसा की गयी है।

सुनवाई के क्रम में मुख्य रूप से यह परिलक्षित हुआ कि मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि० यूनिट–न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स, नरकटियागंज आरक्षित क्षेत्र में 93099.83 एकड़ में ईख का आच्छादन है जिसमें अनुमानित 140 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से 130.33 लाख क्विंटल पेराई हेतु गन्ने की उपलब्धता है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में संबंधित सभी पक्षों को सुनने के पश्चात् सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि० यूनिट–न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स, नरकटियागंज, प॰ चम्पारण के पक्ष में पेराई सत्र 2017–18 से 2021–22 (पाँच वर्षो) के लिए राज्य के पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत 38 ग्रामों को जिसका विवरण संलग्न अनुसूची–**''क''** एवं **''ख''** में अंकित है, को परम्परागत् रूप से आरक्षित किया जाता है।

आदेश से,
जितेन्द्र कुमार सिंह,
ईखायुक्त, बिहार।

पेराई सत्र 2017–18 से 2021–22 तक के लिए मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि० यूनिट–न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स, नरकटियागंज, प॰ चम्पारण को परम्परागत रूप में आरक्षित 38 ग्रामों की सूचीः–

अनुसूची–''क''

जिला का नाम	प्रखण्ड	क्रमांक	ग्राम का नाम	राजस्व थाना संख्या
प० चम्पारण	**योगापट्टी**	01.	ढ़वेलवा	359
		02.	खुटवनिया	360
		03.	पिपरा नवरंगिया	104
		04.	जगदंबापुर	105
		05.	भवानीपुर	42
		06.	ढ़बिया	41
		07.	कोनहरा	106

अनुसूची–"ख"

जिला का नाम	प्रखण्ड	क्रमांक	ग्राम का नाम	राजस्व थाना संख्या
प० चम्पारण	चनपटिया	01.	पुरैना चौवे	58
		02.	बनकट	61
		03.	महना	63
		04.	सेमुआ पुर	64
		05.	बड़वा छाप	65
		06.	कैथवलिया	66
		07.	टिकुलिया	67
		08.	खरगौली	68
		09.	जैतिया	69
		10.	फजिहतवा	70
		11.	बकुलहर	71
		12.	गिद्धा	72
		13.	बंदराहा आन्दर चौवे	76
		14.	विशुनपुर मदाकर	77
		15.	विशुनपुर रघुनाथ	78
		16.	लखौरा निजामत	79
		17.	जिना छापर	80
		18.	रामपुरवा	82
		19.	घोघा	213
	लौरिया	20.	धमौरा	486
		21.	लक्ष्मीपुर	487
		22.	लक्ष्नौता	488
		23.	लंगड़ा बरवा	489
		24.	बरवा कला	490
		25.	बौध टोला	504
		26.	सतवरिया	505
		27.	भतौरा	506
		28.	दुमदुमवा	507
		29.	सिहपुर	508
		30.	बसंतपुर	509
		31.	छर्दवाली	510

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 932-571+50-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in